



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2845]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 28, 2019/भाद्र 6, 1941

No. 2845]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 28, 2019/BHADRA 6, 1941

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2019

का.आ. 3114(अ).—भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया एवं बोकारो – धामरा (जे एच बी डी पी एल) पाइपलाइन एवं स्पर पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा, एक पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाईन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, गेल (इण्डिया) लिमिटेड को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जगदीशपुर – हल्दिया एवं बोकारो – धामरा एवं स्पर पाइपलाइन परियोजना
एफ.सी.आई. गोरखपुर एवं स्पर पाइपलाइन

राज्य : उत्तर प्रदेश

जिला	तहसील	गांव	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर-आर-वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5		
आजमगढ़	निजामाबाद	क्यामुद्दीन पट्टी	630	00	01	05
आजमगढ़	निजामाबाद	गौरा	224/1837	00	08	10
आजमगढ़	निजामाबाद	खुर्रमपुर	665	00	11	81
आजमगढ़	निजामाबाद	खुर्रमपुर	641	00	00	81
आजमगढ़	निजामाबाद	ओरा	327	00	08	82
गोरखपुर	सहजनवां	बरवार खुर्द	399	00	00	80

[फा. सं. एल-14014/89/2019-जी.पी.-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2019

S.O. 3114(E).—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Pipeline (JHBDPL) & Spur Pipeline in the State of Uttar Pradesh, a Pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which copies of the notification issued under sub-section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, GAIL (India) Limited, State of Uttar Pradesh.

SCHEDULE

Jagdishpur-Haldia & Bokaro -Dhamra pipeline & Spur Pipeline Project
F C I - Gorakhpur & Spur Pipeline

State - Uttar Pradesh

District	Tehsil	Village	Survey No.	Area		
				Hect. Are Sq. Mtr.		
1	2	3	4	5		
Azamgarh	Nizamabad	Kyamuddin Patti	630	00	01	05
Azamgarh	Nizamabad	Gaura	224/1837	00	08	10
Azamgarh	Nizamabad	Khurrampur	665	00	11	81
Azamgarh	Nizamabad	Khurrampur	641	00	00	81
Azamgarh	Nizamabad	Ora	327	00	08	82
Gorakhpur	Sahjanawa	Barwar Khurd	399	00	00	80

[F. No. L-14014 /89/2019-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.